निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 25/2025 (धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)
राज्य सरकार जरिये देवेन्द्र आसेरी, प्रवर्तन अधिकारी चाकसू, जिला रसद अधिकारी कार्यालय जयपुर द्वितीय।

प्रार्थी

बनाम

बाबू सिंह पुत्र जगदीश सिंह, जोधपुर मिष्ठान् भण्डार, फागी रोड, चाकसू, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा **07 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. मय एलपीजी 16.800 किलोग्राम** को साजसात (Confiscate) करने बाबत ।

उपस्थितः-

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. श्री प्रवेन्द्र कुन्तल अभिभाषक, अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक **13.01.2025**

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय से प्राप्त निर्देशो की पालना में घरेलू गैस के **व्यावसायिक उपयोग** की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के दिनांक **20.10.2022 को मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार, फागी रोड, चाकसू, जिला जयपुर के मिठाई बनाने के कारखाने की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर 07 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. पाये गये जिसमें से 2 घरेलू गैस सिलेण्डर पर मिठाई बनाने का कार्य किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैघ व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है।** जिनको राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एव जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6-ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6-ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के **आदेश दिनांक 04.11.2022** को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। **अप्रार्थी की और से श्री प्रवेन्द्र कुन्तल अभिभाषक ने वकालतनामा पेश किया।**
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि **मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार, फागी रोड, चाकसू, जिला जयपुर के मिठाई बनाने के कारखाने की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर 07 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. पाये गये। मौके पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर पर ग्राहकों के लिये खाना एवं मिठाई इत्यादि बनाकर**

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

वाणिज्यिक तौर पर लाभ हेतु विक्रय किया जा रहा था। मौके पर मैसर्स ओसवाल गैस सर्विस के प्रतिनिधि श्री अभिषेक ओसवाल पुत्र भागचन्द ओसवाल को बुला कर तौल कराया गया। तौल कराने पर गैस सिलेण्डरो में कुल 16.800 किलोग्राम एल.पी.जी. पाई गई। मौके पर अप्रार्थी द्वारा इस बाबत न तो कोई वैद्य दस्तोवज पेश किया गया और न ही अवैद्य भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जबाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अप्रार्थी के कब्जे से जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर प्रार्थी एवं उसके अन्य परिवारजन के है। सिलेण्डर कनेक्शन शुदा है। अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के किसी शर्त या धारा का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर रिलीज किये जाने के आदेश फरमावें।

6. उभय पक्ष की बहस को गौर से सुना । पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 20.10.2022 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के कब्जे से जब्त किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में अप्रार्थी द्वारा मौके पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। दौराने जांच **मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार, फागी रोड, चाकसू, जिला जयपुर के मिठाई बनाने के कारखाने ने पर 07 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. पाये गये जिसमें से 2 घरेलू गैस सिलेण्डर पर मिठाई बनाकर वाणिज्यिक उपयोग करते पाये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का वाणिज्यिक उपयोग किये जाने की पुष्टि होती है।** घरेलू एल.पी.जी. कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है, इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से **एल.पी.जी. का अवैघ व्यावसायिक उपयोग** किया जाता है। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैघ मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एलपीजी को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त **07 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. मय एलपीजी 16.800 किलोग्राम** को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है।

9. जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक **04.11.2022 को** अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

10. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो । पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो।

11. निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर